तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5165/2004/ झुन्झनू</u>** **रामनिवास व अन्य बनाम सुमेर सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी

श्री सुरेन्द्र शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 16–8–2018

यह निगरानी जिला कलेक्टर झुन्झनू के निर्णय दिनांक 30–9–2004के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार चिडावा व उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष ग्राम गोवला से भदौडा जाने वाले रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायतय गोवला के यहां प्रतिप्रेषित कर दिया गया। ग्राम पंचायत गोवला ने अपने आदेश दिनांक 20–3–04 से प्रकरण स्वयं के संधारण योग्य व क्षेत्राधिकार का नहीं मानते हुये अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत गोवला के आदेश दिनांक 20–3–04 के विरूद्ध जिला कलेक्टर झुन्झनू के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–3–04 के द्वारा अपील खारिज कर दी। किन्तु साथ ही यह भी आदेश दिया कि राजस्व रेकार्ड में नक्शे में डोटेड लाईन से दिखाया गया रास्ता मौके पर चालू रखने का आदेश दिया जाता है। जिला कलेक्टर के इस आदेश जिसके द्वारा मौके पर रास्ता राजस्व रेकार्ड में डोटेड लाईन से दिखाया गया रास्ता मौके पर चालू रखने का आदेश दिया से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5165/2004/ झुन्झनू</u>** **रामनिवास व अन्य बनाम सुमेर सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वह ग्राम गोवला से भदौडा जाने वाले रास्ते को खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया जो सार्वजनिक रास्ते के रूप में है। ग्राम पंचायत गोवला ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं के क्षेत्राधिकार का न होना मानतें हुये खारिज किया है। जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील ग्राम पंचायत गोवला के आदेश के विरूद्ध थी। जिला कलेक्टर को केवल यह निर्णित करना था कि ग्राम पंचायत गोवला ने जो आदेश पारित किया है वह कहां तक उनकी परिधि में है। जब ग्राम पंचायत गोवला मौके पर कोई रास्ता होना नहीं मान रही है एवं स्वयं का क्षेत्राधिकार होना नहीं मान रही है तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर को यह घोषित करने का अधिकार नहीं है कि राजस्व रेकार्ड नक्शे में डोटेड लाईन से दिखाया गया रास्ता मौके पर चालू रखे। राजस्व रेकार्ड में यदि कोई डोटेड लाईन दिखाई गई है तो उसका यह आशय नहीं है कि अप्रार्थीगण उसका उपयोग करते आ रहे हैं। इसलिये जिला कलेक्टर झुन्झनू का इस हद तक कि राजस्व रेकार्ड में नक्शे में डोटेड लाईन से दिखाया गया रास्ता मौके पर चालू रखे, इन पक्तियों को निर्णय से हटाया जावे। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व रेकार्ड नक्शे में डोटेड लाईन से दिखाया गया रास्ता मौके पर चालू है। अप्रार्थीगण उसका उपयोग करते आ रहे हैं। इसलिये जिला कलेक्टर झुन्झनू द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है। निगरानी खारिज योग्य है। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह ग्राम गोवला से भदौडा जाने वाले रास्ते को खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया है जो सार्वजनिक रास्ते के रूप में है। ग्राम पंचायत गोवला ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5165/2004/ झुन्झनू</u>** **रामनिवास व अन्य बनाम सुमेर सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

क्षेत्राधिकार का न होना मानतें हुये खारिज किया है। जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील ग्राम पंचायत गोवला के आदेश के विरूद्ध थी। जिला कलेक्टर को केवल यह निर्णित करना था कि ग्राम पंचायत गोवला ने जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं। जब ग्राम पंचायत गोवला मौके पर कोई रास्ता होना नहीं मान रही है एवं स्वयं का क्षेत्राधिकार होना नहीं मान रही है तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर को यह घोषित करने का अधिकार नहीं है कि राजस्व रेकार्ड नक्शे में डोटेड लाईन से दिखाया गया रास्ता मौके पर चालू रखे। राजस्व रेकार्ड में यदि कोई डोटेड लाईन दिखाई गई है तो उसका यह आशय नहीं निकाला जा सकता है कि अप्रार्थीगण उसका उपयोग करते आ रहे हैं। जिला कलेक्टर को केवल ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय की वैधता की जाचं करनी थी। जिला कलेक्टर जब तक यह आश्वस्त नहीं हो कि अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में नक्शे में डोटेड लाईन से दिखाई गई पगडंडी का उपयोग करते आ रहे हैं तब तक ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश में संशोधन नहीं करना चाहिये था।

अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर झुन्झनू का इस हद तक कि राजस्व रेकार्ड में नक्शे में डोटेड लाईन से दिखाया गया रास्ता मौके पर चालू रखे, इन पक्तियों को जिला कलेक्टर के निर्णय से विलोपित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)

सदस्य